राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार रुपनगढ जिला–अजमेर

राजस्व मुकदमा नं. 28 / 2022 किस्म मुकदमा अंतर्गत धारा 91

उनवान राज.भू. राजस्व अधि. 1956

सरकार जरिये प0ह0झाग बनाम भगवती कंवर पत्नी रणवीर सिंह

जाति राजपूत निवासी आऊ

निर्णय दिनांकः– 11.07.2022

पत्रावली पेश हुयी। प्रकरण संक्षिप्त मे इस प्रकार से है कि अप्रार्थी ने ग्राम आऊ के आराजी खसरा नंबर 809 / 421 किस्म गै0मु0खारड़ा रकबा 0.6472 है0, खसरा नम्बर 420 किस्म चारागाह रकबा 1.073 हैक्टयर भूमि पर नमक के क्यार बनाकर कब्जा कर लिया गया है। जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला अंतर्गत धारा 91 राज.भू. राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस से तलब किया गया।

अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जवाब पेश कर अतिक्रमण करना स्वीकार किया तथा हटाने हेतु निवेदन किया। अतः मामला निर्णित किया जाता है।

अतः आदेश दिये जाते है कि अप्रार्थी ने ग्राम आऊ के आराजी खसरा नंबर 809 / 421 किस्म गै0मु0खारड़ा रकबा 0.6472 है0, 420 किस्म चारागाह रकबा 1.073 हैक्टयर भूमि से बेदखल किया जाता है तथा लगान 1.60 का 50 गुणा 80 / –रुपये जुर्माना किया जाता है तथा अप्रार्थी को विवादग्रस्त आराजी से भौतिक रुप से बेदखल करने के आदेश दिये जाते है।

पटवारी / टी.आर.ए.मांग कायमी कर वसूली करे तथा विवादित भूमि पर से अप्रार्थी को भौतिक रुप से बेदखल कर कब्जा लेकर रिपोर्ट पेश कर।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। मुकदमा नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

तहसीलदार, तहसील रुपनगढ (अजमेर)

तहसीलदार
रुपनगढ(अजमेर)

वर्ष 2022-23 रा.ले.सं.4 के पृष्ठ संख्या 20 पर रु. 80/- की मांग कायमी की गई।
12/7/22
तहसील राजस्व लेखाकार

Scanned by CamScanner